



चुनाव समिति राजस्थान अधीनस्थ कम्प्यूटर कर्मचारी संघ जिला इकाई – जयपुर

राकेश साहू
(मुख्य चुनाव अधिकारी)
मो: 7737838083

विकास मीना
(उप मुख्य चुनाव अधिकारी)
मो. 8239627346

राजकुमार
(उप मुख्य चुनाव अधिकारी)
मो: 9414463068

क्रमांक : Election/Jaipur/ 02

दिनांक :-28.11.2024

निर्वाचन अधिसूचना

राजस्थान अधीनस्थ कम्प्यूटर कर्मचारी संघ जिला जयपुर के पत्रांक 01 दिनांक 26.11.2024 के द्वारा संगठन के जिला स्तर पर जिला अध्यक्ष के चुनाव सम्पन्न करवाये जाने के संबंध में।

चुनाव कार्यक्रम

1.	नामांकन पत्र जमा करवाने की तिथि	दिनांक 28.11.2024 से 03.12.2024 दोपहर 02.00 बजे तक
2.	नामांकन पत्र जमा करवाने का स्थान	आई टी सैल, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर
2.	नामांकन पत्र वापसी की तिथि	दिनांक 04.12.2024 को दोपहर 02.00 बजे तक
3.	अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन	दिनांक 05.12.2024 को दोपहर 03.00 बजे
4.	मतदाता सूची का प्रकाशन	दिनांक 06.12.2024 को दोपहर 02.00 बजे
5.	मतदान तिथि एवं समय	शनिवार, दिनांक 07.12.2024 को प्रातः 11.00 बजे से 02.00 बजे तक
6.	मतदाता स्थल	कलेक्ट्रेट, जयपुर
7.	मतगणना एवं चुनाव परिणाम	शनिवार, दिनांक 07.12.2024 को दोपहर 03.00 बजे

निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के साथ ही वर्तमान कार्यकारिणी को भंग किया जाता है। जयपुर जिले में नव नियुक्त जिला अध्यक्ष के निर्वाचन तक आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहेगी। अतः सभी सदस्य आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करेंगे। आवेदक अपना नामांकन पत्र मुख्य निर्वाचन अधिकारी/चुनाव समिति के समक्ष मय 2100/- रुपये (नॉन रिफण्डेबल) आवेदन शुल्क सहित अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत करेंगे एवं नामांकन वापसी हेतु आवेदन मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत किया जा सकेगा। चुनाव के समस्त दायित्व एवं शक्तियां चुनाव समिति के अधीन होंगी।

राकेश साहू
(मुख्य चुनाव अधिकारी)

**राजस्थान अधीनस्थ कम्प्यूटर कर्मचारी संघ जिला जयपुर के
जिला अध्यक्ष पद हेतु**

नामांकन पत्र

आवेदक का नाम	
पिता का नाम	
पदनाम	
पदस्थापन स्थान	
जन्म तिथि	
मोबाईल नम्बर	
पता	
आवेदन शुल्क रु 2100 जमा करवा दी गई है या नहीं	
प्रस्तावक 1 की सूचना (नाम, पदनाम, पदस्थापन स्थान एवं मोबाईल नम्बर)	
प्रस्तावक 2 की सूचना (नाम, पदनाम, पदस्थापन स्थान एवं मोबाईल नम्बर)	

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त समस्त जानकारी सही एवं सत्य है एवं किसी भी प्रकार की सूचना गलत पाये जाने पर चुनाव समिति नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर सकती है।

आवेदक का फोटो
हस्ताक्षर

आवेदक के हस्ताक्षर